

आदेश नं. 72ए, जी-2, नित्यानन्द नगर, गांधी पथ, कवीन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर  
प्रकरण संख्या 320/2024 (धारा 14 शिवशोरिताईजेशन)

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तृतीय तल, जेएसआईएल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री धीरेन्द्र कुमार व्यास,  
पता:- 72ए, जी-2, नित्यानन्द नगर, गांधी पथ, कवीन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर,  
फ्लैट नं. 303, द्वितीय तल, यश अपार्टमेन्ट, फ्लॉट नं. टी-56, 57 और 58, नारायण विहार प्रथम, भाकर  
पैराडाईज के पास, तहसील सांगानेर, जयपुर  
एवं 108, प्रथम तल, श्री गेशन, कमलास नगर, सी स्कीम, जयपुर।
2. सदानंद हुसैन,  
पता:- फ्लैट नं. 14, 273/ए-2, राजस नगर बी, तृतीय तल, कालवाड़ा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- शिना वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 26.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री धीरेन्द्र कुमार व्यास के स्वामित्व की संपत्ति यश अपार्टमेन्ट, फ्लॉट नं. टी-56, 57 और 58, ग्राम श्रृंगारपुरा, नारायण विहार, तहसील सांगानेर, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित फ्लैट नं. 303, क्षेत्रफल सुपर बिल्ट अप एरिया 1066 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 06.07.2023 को राशि रूपये 30,00,000/- रूपये, दिनांक 11.07.2023 को राशि 88,508/- रूपये, कुल राशि 30,88,508/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.04.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 30,88,508/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर




सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 32,51,503/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.04.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री धीरेन्द्र कुमार व्यास के स्वामित्व की बंधक संपत्ति यश अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. टी-56, 57 और 58, ग्राम श्रृंगारपुरा, नारायण विहार, तहसील सांगानेर, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित प्लेट नं. 303, क्षेत्रफल सुपर बिल्ट अप एरिया 1066 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर